

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत उ०प्र० लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद लखनऊ में राष्ट्रीय मार्ग संख्या-24 के कि०मी० 489.725 में मड़ियॉव थाने से नवीन गल्ला मण्डी कि०मी० 492.500 में चौड़ीकरण का कार्य हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों के स्थान पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु मार्ग निर्माण से प्रभावित वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का भुगतान वन विभाग के आंकलन के अनुसार लो०नि०वि०, उ०प्र० द्वारा किया जायेगा।


Koal

(धर्मराज)

अधिशायी अभियन्ता,
प्रा०ख०, लो०नि०वि०,
लखनऊ

एन0पी0वी0 भुगतान का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद लखनऊ में राष्ट्रीय मार्ग संख्या-24 के कि0मी0 489.725 में मड़ियॉव थाने से नवीन गल्ला मण्डी कि0मी0 492.500 में चौड़ीकरण का कार्य के दोनों तरफ संरक्षित वन भूमि जिस पर वनविभाग के वृक्ष स्थित है तथा जिनका पातन मार्ग के चौड़ीकरण के लिये आवश्यक है। संरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण के कारण देय एन0पी0वी0 का भुगतान लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।



(धर्मराज)

अधिशायी अभियन्ता,
प्रा0ख0, लो0नि0वि0,


लखनऊ

जनपद लखनऊ में राष्ट्रीय मार्ग संख्या-24 के कि०मी० 489.725 में मड़ियॉव थाने से नवीन गल्ला मण्डी कि०मी० 492.500 में चौड़ीकरण का कार्य से लाभान्वित गाँव/कस्बों/कालोनियों की सूची:-

1. मड़ियॉव
2. ताड़ीखाना
3. मोहिबुल्लापुर
4. पुरनिया
5. अहिबरनापुर
6. खदरा
7. डालीगंज
8. अलीगंज
9. फैजुल्लागंज
10. निराला नगर
11. सीतापुर बाईपास

उपरोक्त गाँव/कस्बों/कालोनियों की अनुमानित जनसंख्या लगभग 7.00 लाख है।

प्रस्तावित मार्ग के चौड़ीकरण से अलीगंज, निराला नगर, पुरनिया, हजरतगंज, अमीनाबाद, केसरबाग एवं निशातगंज से हरदोई एवं सीतापुर को जाने वाले यातायात को लाभ होगा।


(धर्मराज)

अधिशायी अभियन्ता,
प्रा०ख०, लो०नि०वि०,
लखनऊ


प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद लखनऊ में राष्ट्रीय मार्ग संख्या-24 के कि०मी० 489.725 में मड़ियॉव थाने से नवीन गल्ला मण्डी कि०मी० 492.500 तक चौड़ीकरण का कार्य के दोनों तरफ संरक्षित वन भूमि जिस पर वनविभाग के वृक्ष स्थित हैं तथा जिनका पातन मार्ग के चौड़ीकरण के लिये आवश्यक है, के अतिरिक्त मार्ग के चौड़ीकरण हेतु अन्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रस्ताव में आवश्यकतानुसार न्यूनतम भूमि ली गयी है।


अधिशायी अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०,
लखनऊ

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद लखनऊ में राष्ट्रीय मार्ग संख्या-24 के कि०मी० 489.725 में मडियॉव थाने से नवीन गल्ला मण्डी कि०मी० 492.500 में चौड़ीकरण का कार्य के दोनों तरफ की भूमि जिस पर वनविभाग के संरक्षित वृक्ष स्थित है तथा जिनमें से प्रभावित वृक्षों का पातन प्रस्तावित है, इस मार्ग के दोनों तरफ राजस्व अभिलेखों के अनुसार रेलवे के स्वामित्व की भूमि नहीं है।



(धर्मराज)

अधिशायी अभियन्ता,
प्रा०ख०, लो०नि०वि०,
 लखनऊ